

338/म/118
31/8/18

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या: 118/8-3-18-170 विविध/17 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 20 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. के नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समस्त महायोजनाओं के जोनल प्लान्स को निजी कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से तैयार कराये जाने के लिए शासनादेश संख्या-1034/8-3-18-170विविध/17,टी.सी., दिनांक 04.07.2018 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित "कन्सलटेन्ट्स चयन एवं अनुश्रवण समिति" (CSRC) को सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1 आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र.	अध्यक्ष
2 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	सदस्य
3 मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
4 मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य
5 वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6 सलाहकार (नियोजन) आवास बन्धु	सदस्य
7 किसी ख्याति प्राप्त इन्स्टीट्यूट के नगर नियोजन में अनुभवी प्रोफेसर।	सदस्य
8 अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य सचिव

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
- अध्यक्ष, समस्त, विशेष विकास प्राधिकरण (साडा)।
- अधिसासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- निदेशक, आवास बन्धु को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की शासनादेश की प्रति विभाग की शासकीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Q